जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 50 संख्याः 222 प्रभात कोटा, मंगलवार 27 मई, 2025 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

इस सप्ताह मोदी बिहार में पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे

इस अवसर पर पार्टी विक्रमगंज में एक रैली और रोड-शो करेगी तथा मोदी बिहार के लिए 50,000 करोड़ रूपये के पैकेज की भी घोषणा करेंगे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस सप्ताह बिहार में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार करने के लिये पूरी तरह तैयार हैं। वे प्रचार अभियान की शुरुआत बिक्रमगंज जिले में एक जबरदस्त रोड शो तथा जनसभा से करेंगे। इस आयोजन में प्रधानमंत्री 50,000 करोड़ रु. के बहुत बड़े विकास -पैकेज की घोषणा करेंगे, तथा इस प्रकार काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे इन विधानसभा चुनावों से पहले, वे राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं कल्याणकारी कदमों की भाजपा की प्रतिबद्धता का संकेत देंगे।

- पर, यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भाजपा व उसकी सहयोगी पार्टी जनता दल (यू) के बीच विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर भारी मतभेद उजागर हो रहे हैं।
- जद (यू) 243 विधानसभा सीटों में से 121 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है, जबकि भाजपा, नीतीश की पार्टी को 100 सीटों से ज्यादा नहीं देना चाहती।
- भाजपा चिंतित है, अगर सीटों के बंटवारे पर चल रही बात टूट गई तो काफी संकट खड़ा हो सकता है पार्टी के सामने। इन रणनीति विशेषज्ञों का आंकलन है कि अगर भाजपा को अकेले ही चुनाव लड़ना पड़ा तो साठ सीटें पाना भी मुश्किल होगा।
- सीटों पर बातचीत करने के लिए जद (यू) भी काफी गंभीर है और इसीलिए गत वीकेंड (शनिवार-रविवार) को नीतीश दिल्ली गये थे।
- दोनों पार्टियां चाहती हैं कि सीटों के बंटवारे पर चल रहा मतभेद जल्दी से जल्दी हल हो जाए और दोनों पार्टियां एकता की छवि पेश करते हुए, चुनाव मैदान में उतरें।

लेकिन इस प्रचार अभियान की शुरुआत एक ऐसे समय पर हो रही है, जब भाजपा और उसके प्रमुख मित्र दल जनता दल (यूनाइटेड) के बीच आगामी चुनावों के लिये सीट -शेयरिंग फॉर्मूला को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। वरिष्ठ जेडीयू नेताओं ने इस बात की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पत्नी की हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास

जयपुर, 26 मई। सत्र न्यायालय, महानगर द्वितीय ने आपसी झगड़े में पत्नी के गले में सुआ घोंपकर उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त पति कानाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने अभियुक्त पर पचास हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी रीटा तेजपाल ने अपने आदेश

- घटना के दिन मृतका ममता की बहन, जो उसकी जेठानी भी है, चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके कमरे में गयी तो ममता खून से लथपथ पड़ी थी तथा अभियुक्त पति के हाथ खून से सने हुए थे।

में कहा कि पति-पत्नी के बीच मामूली कहासुनी स्वाभाविक है, लेकिन इस दौरान अभियुक्त ने पत्नी की हत्या कर दी। घटना में एक महिला को न केवल अपनी जान गंवानी पड़ी, बल्कि उसकी तीन साल की बेटी को हमेशा के लिए मां के प्यार से वंचित होना पड़ा। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक संत कुमार ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर मृतका

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बाँग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ विरोध उभरने लगा है

सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस पर लगातार दबाव बन रहा है कि आम चुनाव दिसम्बर में करवायें, जबकि यूनुस अगले वर्ष जून में करवाने के पक्ष में हैं

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 मई। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मुहम्मद यूनुस के खिलाफ राजनीतिक नेताओं और सेना के बढ़ते विरोध के बीच, निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूनुस पर "देश को अमेरिका के हाथ बेचने" का आरोप लगाया है।

आवामी लीग के फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए एक ऑडियो संदेश में हसीना ने कहा कि सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका के नियंत्रण की प्रबल संभावना है। हसीना ने कहा, "मेरे पिता ने इस द्वीप की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए और मैंने भी कभी सत्ता में बने रहने के लिए देश को बेचने की नहीं सोची।"

जहां एक ओर बांग्लादेश में हसीना सरकार के खिलाफ मुकदमे शुरु हो चुके हैं, वहीं निर्वासित प्रधानमंत्री ने यूनुस को "उग्रवादी नेता" बताया और अंतरिम सरकार द्वारा आवामी लीग पर लगाए गए प्रतिबंध को "अवैध और असंवैधानिक" करार दिया।

- दूसरी ओर, पूर्व प्र.मंत्री शेख हसीना ने यूनुस पर आरोप लगाया कि वे बाँग्लादेश का सेंट मार्टिन आइलैंड, अमेरिका को बेचने की तैयारी में हैं। जबकि, शेख मुज़ीबुर रहमान इस टापू को बचाने के लिए अपनी जान देने को भी तैयार थे तथा यह पहली बार हो रहा है कि सत्ता में रहने के लिये नेता अपने देश को बेचने की कोशिश कर रहे हैं।
- इन दबावों से परेशान, अंतरिम सरकार के कर्ताधर्ता यूनुस ने अपना इस्तीफा देने की पेशकश भी की थी।
- सेनाध्यक्ष ज़मान व पूर्व प्र.मंत्री खालिदा जिया दोनों बाँग्लादेश की इस वर्तमान राजनीतिक स्थिति से काफी नाखुश हैं तथा दिसम्बर में आम चुनाव करवाने के पक्ष में हैं।
- यूनुस, अपनी खाल बचाने के लिए बार-बार भारत का डर दिखा रहे हैं तथा बाँग्लादेश में "युद्ध जैसी स्थिति" होने की बात कर रहे हैं।

पिछले कुछ सप्ताहों में, बांग्लादेश में असंतोष और राजनीतिक अनिश्चितता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मैं भारतीय हूँ, केवल हिन्दी में ही बोलूंगी'

यह कहने वाली महिला बैंक अधिकारी को दण्ड दिलवाने के लिए कर्नाटक के सभी पार्टियों के राजनीतिज्ञ व नेता संगठित हुए

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 मई। कर्नाटक में भाषाई विवाद की एक और घटना सामने आई इस बार का मामला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की मैनेजर से जुड़ा है जिसे लेकर कर्नाटक के सभी राजनैतिक दल और कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। सभी ने यहां तक कि कांग्रेस नेताओं ने भी उक्त महिला मैनेजर के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की।

उक्त महिला मैनेजर हिंदी में बात करने पर जोर दे रही थी और कह रही थी वह भारतीय है और सिर्फ हिंदी बोलेगी, भले ही इससे स्थानीय कस्टमर, जिनकी सेवा के लिए उसे नियुक्ति मिली है, का अपमान ही क्यो न होता हो।

इस बैंक मैनेजर एक वीडियो, जिसमें वह ग्राहकों पर चिल्लाती दिख रही है और कह रही है कि वह सिर्फ हिंदी में ही बात करेगी, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस व्यवहार ने स्थानीय लोगों और नेताओं को नाराज़ कर दिया, क्योंकि यह उन घटनाओं जैसा था जिनमें राज्य के बाहर से आने वाले खासतौर पर हिंदी भाषी शिक्षित और पेशेवर वर्ग के लोग स्थानीय भाषा और संस्कृति का अनादर करते हैं।

- इस दबाव के कारण एसबीआई मैनेजमैंट सरैण्डर हुआ तथा महिला अधिकारी को अन्यत्र ट्रांसफर करने के लिए राजी हो गया।
- कर्नाटक के अनेकल तालुक की सूर्यनगर ब्राँच में हुई घटना, मु.मंत्री तक पहुँची तथा उन्होंने कहा, "कन्नड़ भाषा का अनादर करने वाली ऐसी घटनाएं बहुत बार होने लगी हैं, यह निन्दनीय है तथा हम एसबीआई के मैनेजमैंट के आभारी हैं। उन्होंने उक्त बैंक अधिकारी का फटाफट ट्रांसफर किया तथा कन्नड़ भाषा के अनादर की ऐसी घटनाएं आगे नहीं होनी चाहिये।"

आक्रोशित स्थानीय जनता ने इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हाल के वर्षों में पहली बार भाजपा के एक प्रभावशाली नेता और पार्टी के भरते सितारे तेजस्वी सूर्या ने भी कन्नड़ और कर्नाटक के समर्थन में स्टैंड लिया, जबकि उनकी पार्टी का कोई नेता शायद ही कभी लेता है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उदयपुर में करोना के दो रोगी मिले

उदयपुर, 26 मई (का.स.)। उदयपुर में भी कोरोना की वापसी हो गई है। बीते दिन यहां कोरोना के दो मरीज सामने आए हैं। इनमें से एक ग्रामीण क्षेत्र से, जबकि एक मरीज शहरी क्षेत्र से संबंधित है।

जानकारी के अनुसार, एक मरीज को लेकर एम .बी.अस्पताल के अधीक्षक डॉ. आरएल.सुमन ने पुष्टि की है, जबकि दूसरे मरीज की पुष्टि

- एक मरीज ग्रामीण क्षेत्र भावली से है, जबकि दूसरा उदयपुर शहर का है।

मेडिकल कॉलेज की लैब से जयपुर भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर हुई है। दोनों ही मरीज फिलहाल अपने.अपने घरों पर क्वारंटाइन हैं और उपचार ले रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, जो दो मरीज कोरोना पॉजीटिव आए हैं, उनमें एक मावली क्षेत्र का है। इस बाबत डॉ. सुमन के अनुसार, मावली में आठ दिन पहले कोविड पॉजीटिव मरीज सामने आया था। वह फिलहाल घर पर क्वारंटाइन होकर उपचार ले रहा है, जबकि दूसरा मरीज उदयपुर शहर का बताया जा रहा है, जिसने जुकाम और बुखार होने पर मेडिकल कॉलेज की लैब में स्वयं की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने जज के घर से मिले कैश प्रकरण की रिपोर्ट सार्वजनिक करने से इन्कार किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट "कॉन्फिडैंशियल" है तथा रिपोर्ट सार्वजनिक करने से संसद के अधिकारों की मानहानि होने की संभावना है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 मई। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी मिलने के आरोपों के मामले में की गई आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट की प्रति राइट टु इन्फॉर्मेशन (आर.टी.आई.) अधिनियम के तहत

- जैसा कि विदित ही है, न्यायाधीश यशवंत वर्मा के बंगले से बरामद कैश के प्रकरण में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने एक कमेटी गठित करके जाँच करवाई थी।

देने से इन्कार कर दिया है। ज्ञातव्य है कि इस संबंध में इलाहबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया गया था।

आरटीआई याचिका में यह भी अनुरोध किया गया था कि भारत के तत्कालीन उच्च न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेजे गए पत्रों की प्रतियां प्रदान की जाएं। तथापि, सुप्रीम कोर्ट ने इन दस्तावेजों के गोपनीय स्वरूप और संसद के विशेषाधिकारों के उल्लंघन की संभावना का हवाला देते हुए यह जानकारी देने से इन्कार कर दिया।

इस महीने की शुरुआत में, पूर्व

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोटपूतली में बेतरतीब तोड़फोड़ के मामले में स्थानीय जनता को अब इंसाफ मिला

सब हैडिंग-24-हाई कोर्ट ने कहा, राज्य सरकार कमेटी बनाए, याचिकाकर्ताओं से आपत्तियाँ ले और सुनवाई का मौका देकर कानून के अनुसार निर्णय करे

-यादवेंद्र शर्मा-

जयपुर, 26 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर पालिका कोटपूतली द्वारा की गई बेतरतीब तोड़फोड़ को कानूनी रूप से सही नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि कोटपूतली में सड़क चौड़ी करने के लिये निर्माण तोड़ने के मामले में राज्य सरकार कमेटी गठन करे, जो कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए ही कार्यवाही करे। इस मामले में नगर पालिका ने नेशनल हाईवे से विवेकानंद स्कूल तक सड़क चौड़ी करने के लिये 150 लोगों के घरों और दुकानों की तोड़फोड़ की थी।

जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश इस संबंध में दायर 12 दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

- कोर्ट के आदेश के अनुसार, जिन लोगों के पास कानूनी पट्टे हैं, अगर उनकी ज़मीन की जरुरत पड़ती है तो उन्हें मौजूदा दरों के साथ उचित मुआवज़ा दिया जाएगा और वर्तमान में चल रही सरकारी योजना में पात्रता के अनुसार भूमि आवंटित की जा सकती है।
- नगर पालिका ने कहा कि हमने तो कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की है। याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किए थे, आपत्तियाँ प्रस्तुत करने का मौका दिया था, पर, लोगों ने नोटिस लेने से मना कर दिया।
- हाई कोर्ट ने नगर पालिका के तर्कों पर संदेह जताया। हाई कोर्ट ने पाया कि जुलाई 2022 में सभी याचिकाकर्ताओं को जो नोटिस दिए गए थे, उन पर तकरीबन दो ही गवाहों के हस्ताक्षर थे, इससे पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न होता है।

याचिककर्ताओं की ओर से अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं के पास भूमि का पंजीकृत विक्रय पत्र है। वहीं कुछ याचिकाकर्ताओं के पास खेतडी रियासत की ओर से जारी पट्टा है। याचिकाकर्ता अपनी संपत्तियों पर नियमानुसार काबिज भी हैं। मास्टर प्लान में यहां रोड की चौडाई साठ फीस से कम है। इसके बावजूद भी यहां अस्सी से सौ फीट चौड़ी सड़क निर्माण के लिए याचिकाकर्ताओं के कब्जे हटाए जा रहे हैं।

इस मामले में नगर पालिका की ओर से कहा गया कि हमने तो कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की है और याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किये थे और आपत्तियां प्रस्तुत करने का मौका दिया था, पर इन्होंने नोटिस लेने से ही मना कर दिया। इस पर हाईकोर्ट ने नगर पालिका के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर संदेह जताया कि उन्होंने याचिकाकर्ताओं को नोटिस दिये थे।

हाईकोर्ट ने पाया कि नोटिस पर गवाहों के हस्ताक्षर कथित रूप से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)